न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.

पत्रावली संख्या : 11/18 (विविध प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी रामनारायण मेनारिया निवासी भुवाणा उदयपुर जिला उदयपुर (राज0)।

.................प्रार्थीया

बनाम

1. श्री सुखलाल पिता श्री उंकार डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री चौखमल पिता उंकार डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री विपिन पिता भूरालाल सुथार निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री प्रकाश पिता नाथूलाल जैन निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री कैलाश पिता मगनलाल जैन निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्री कन्हैयालाल पिता हिरा डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।
7. श्री नंदलाल पिता हिरा डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री सुरेश चन्द्र मेनारिया , अधिवक्ता प्रार्थीया ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :22.01.2020

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा दरोली पटवार हल्का दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 में आराजी नम्बर 551, 553, 557, 565/2/3, 565/2/2, 571/2 किता–6 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से अंकित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है और उक्त भूमि में प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है।

2. उक्त वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ौसी होकर प्रार्थीया की भूमि एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नही होने से आए दिन विवाद होता रहता है जिस कारण से प्रार्थीया अपने खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का भू–मापक यंत्र के जरिये पक्की पत्थरगड़ी कराना चाहती है और इस हेतु प्रार्थीया ने विपक्षीगण से दिनांक 28.02.2018 को कहा तो विपक्षीगण ने कोई जवाब नही दिया जिससे प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना पड़ा है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है और इस भूमि की पत्थरगड़ी का आदेश फरमाये जाने से किसी को कोई क्षति होने वाली नही है जब कि पत्थरगड़ी नही होने से आए दिन होने वाले विवाद से प्रार्थीया को मुक्ति मिल जायेगी।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण दिनांक 28.02.2018 को पैदा हुआ तब से निरन्तर जारी है। प्रार्थीया महिला है इस कारण विवाद को लेकर परेशान रहती है जिससे पत्थरगड़ी तहसीलदार वल्लभनगर की उपस्थिति में कराना चाहती है।

4. अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर के जरिये भू–मापक यंत्र से पक्की पत्थरगड़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे। पत्थरगड़ी का नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 पेश की गई है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । विपक्षी संख्या 1, 2 को सूचना होने के पश्चात भी अनुपस्थित होने से दिनांक 17.04.2018 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा दिनांक 05.09.2018 को उनकी उपस्थिति में पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 6 व 7

द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर दिनांक 16.10.2019 को बहस सुनी गई एवं उक्त प्रार्थना पत्र गैर वाजिब पाए जाने से खारिज किया गया। विपक्षी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध दिनांक 02.12.2019 एवं विपक्षी संख्या 6 व 7 के विरूद्ध दिनांक 15.01.2020 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा दरोली पटवार हल्का दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान नकल जमाबंदी 2050 से 2053 के अनुसार खाता संख्या 215 पर दर्ज आराजी नम्बर 551, 553, 557, 565/2/3, 565/2/2, 571/2 किता–6 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थीया स्वयं खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार वल्लभनगर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा दरोली पटवार हल्का दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान नकल जमाबंदी 2050 से 2053 के अनुसार खाता संख्या 215 पर दर्ज आराजी नम्बर 551, 553, 557, 565/2/3, 565/2/2, 571/2 किता–6 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें ।

9. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2020.02.04 17:57:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: